उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-14/2023/781/30-3-2023
लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2023

कार्यालय - आदेश

श्री बिनय कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), गोरखपुर को शिथिल नियत्रण तथा शासकीय कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रति लापरवाही व अनियमितता बरतने का प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाते हुए शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3074/तीस-3-2022, दिनांक 15.10.2022 द्वारा निलम्बित करते हुए कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया। तत्पश्चात श्री सिंह के विरूद्ध कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3075/तीस-3-2022 दिनांक 15.10.2022 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री बिनय कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के निलम्बन को समाप्त करते हुए एतद्द्वारा सेवा में बहाल कर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), प्रतापगढ़ के पद पर तैनात किया जाता है। श्री बिनय कुमार सिंह के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

3- श्री बिनय कुमार सिंह उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2023/ 781(1) /30-3-2023, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(3) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0 लखनऊ।
(4) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
(5) संबंधित उप परिवहन आयुक्त/जॉच अधिकारी, मुख्यालय ।
(6) संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी।
(7) संबंधित अधिकारी।
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।